पत्रांक –3 /एम0– 01 /2012सा०प्र०.8567/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभाग/विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 14.6. 2012

विषयः– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में चलाये जा रहे सुशासन कार्यक्रमों के अधीन राज्य की जनता को नियत समय–सीमा में अधिसूचित सेवायें प्रदान किये जाने हेतु "बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011" प्रवृत्त है। राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत किये जाने के पश्चात् इसके उत्साहवर्धक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 'सेवा यात्रा' के क्रम में समीक्षात्मक बैठक में यह बात सामने आई कि कतिपय जिला में सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदक से कुछ वैसे कागजात की माँग आवेदन के साथ की जाती है जो वस्तुतः सेवा प्रदान करने का ही अंग है और जिसे उक्त क्रम में सेवा प्रदाताओं द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना है। उदाहरणस्वरूप आय प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के क्रम में इच्छुक आवेदकों से आवेदन के साथ उनकी आय संबंधी राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन माँगा जाता है, जबकि उक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं उसके आधार पर आय प्रमाण–पत्र निर्गत करना सेवा प्रदाता का कर्त्तव्य है। सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार के कागजात आवेदकों से माँगा जाना लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है।

अतः अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं को, आवेदन के साथ वैसे कागजात की माँग नहीं किये जाने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए जिन्हें सेवा प्रदान किये जाने के क्रम में सेवा प्रदाता को ही प्राप्त करना है।

विश्वासभाजन

(नवीन चन्द्र झा) 12.6.12
सरकार के संयुक्त सचिव।